

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर ।

पत्र संख्या 1644-51

File no.40-i (1015941) प्रवर्तन /2026

दिनांक:- 19 / 05/2026

-:कार्यालय ज्ञाप:-

शासनादेश संख्या 05/2025/1803/36-03-2025-1902744 दिनांक: 12-11-2025 के परिप्रेक्ष्य में गठित समिति द्वारा श्रम कानून ऑडिटर फर्म तथा तकनीकी ऑडिट फर्म हेतु इम्पेनलमेंट थर्ड पार्टी फर्म द्वारा आडिट के प्रयोजन से लिए जाने वाले अधिकतम शुल्क का निर्धारण किये जाने हेतु दिनांक 04.05.2026 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय पर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन दिनांक 13.05.2026 के क्रम में थर्ड पार्टी ऑडिट दरों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

1-अधिकतम 25 हजार + जी.एस.टी.(जो श्रम कानून ऑडिटर तथा तकनीकी ऑडिटर हेतु अलग-अलग अधिकतम शुल्क है, जो प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा देय होगा।)

2- थर्ड पार्टी फर्म को यात्रा भत्ता (रेल/बस थर्ड ए.सी. द्वारा) तथा महंगाई भत्ता(DA) के अनुसार भुगतान प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा आपसी सहमति से दिया जाएगा।

**Digitally signed by
SHAMIM AKHTER
Date: 18-05-2026
11:32:51 (GMT+05:30) अख्तर)**

अपर-श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या

File no.40-i (1015941) प्रवर्तन /2026

दिनांक:- / 05/2026

प्रतिलिपि :- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1)-समिति के समस्त सदस्य।
- (2) प्रभारी अधिकारी, आई०टी० प्रकोष्ठ, मुख्यालय, कानपुर।
- (3) समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उ०प्र० ।
- (4) समस्त संभागीय उप निदेशक कारखाना, उ०प्र०।
- (5) समस्त क्षेत्रीय सहायक निदेशक कारखाना, उ०प्र० ।
- (6) कारखाना प्रभाग, मुख्यालय कानपुर, उ०प्र० ।
- (7) कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।
- (8) चयनित(इम्पैनल्ड) थर्ड पार्टी ऑडिटर फर्म्स ।

(शमीम अख्तर)

अपर-श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर ।

पत्र संख्या

File no.40-i (1015941) प्रवर्तन /2026

दिनांक:- / 05/2026

-:कार्यालय ज्ञाप:-

शासनादेश संख्या 05/2025/1803/36-03-2025-1902744 दिनांक: 12-11-2025 के परिप्रेक्ष्य में गठित समिति द्वारा श्रम कानून ऑडिटर फर्म तथा तकनीकी ऑडिट फर्म हेतु इम्पेनलमेंट थर्ड पार्टी फर्म द्वारा आडिट के प्रयोजन से लिए जाने वाले अधिकतम शुल्क का निर्धारण किये जाने हेतु दिनांक 04.05.2026 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय पर श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश के अनुमोदन दिनांक 13.05.2026 के क्रम में थर्ड पार्टी ऑडिट दरों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

1-अधिकतम 25 हजार + जी.एस.टी.(जो श्रम कानून ऑडिटर तथा तकनीकी ऑडिटर हेतु अलग-अलग अधिकतम शुल्क है, जो प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा देय होगा।)

2- थर्ड पार्टी फर्म को यात्रा भत्ता (रेल/बस थर्ड ए.सी. द्वारा) तथा महंगाई भत्ता(DA) के अनुसार भुगतान प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा आपसी सहमति से दिया जाएगा।

(शमीम अख्तर)

अपर-श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या 1644-51

File no.40-i (1015941) प्रवर्तन /2026

दिनांक:- 19 / 05/2026

प्रतिलिपि :- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1)-समिति के समस्त सदस्य।
- (2) प्रभारी अधिकारी, आई०टी० प्रकोष्ठ, मुख्यालय, कानपुर।
- (3) समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रमायुक्त, उ०प्र० ।
- (4) समस्त संभागीय उप निदेशक कारखाना, उ०प्र०।
- (5) समस्त क्षेत्रीय सहायक निदेशक कारखाना, उ०प्र० ।
- (6) कारखाना प्रभाग, मुख्यालय कानपुर, उ०प्र० ।
- (7) कम्प्यूटर प्रकोष्ठ।
- (8) चयनित(इम्पैनल्ड) थर्ड पार्टी ऑडिटर फर्म्स ।

Digitally signed by

SHAMIM AKHTER

Date: 18-05-2026

11:33:40

(शमीम अख्तर)

अपर-श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।